

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी

जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

राजस्व विविध : 141/2021

श्री सीमेंट लिमिटेड, रजिस्टर्ड ऑफिस बांगड़ नगर, ब्यावर, जिला अजमेर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि स्वदेश सिंह पुत्र श्री जसवंत सिंह, आयु 49 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी बांगड़ नगर, ब्यावर, जिला अजमेर (राज.)

—प्रार्थी

—बनाम—

1. कमलादेवी पत्नी हरलाल आयु वयस्क, जाति जाट निवासी ग्राम चौढाणी तहसील नवलगढ, जिला झुन्झुनू (राज.)।
2. जगन्नाथ पुत्र रेखा के कायम मुकाम
 - 2/1 रुड़कीदेवी पत्नी जगन्नाथ आयु वयस्क जाति माली
 - 2/2 शंकर पुत्र जगन्नाथ आयु वयस्क जाति माली
 - 2/3 नानची पत्नी मंगलचन्द आयु वयस्क जाति माली
 - 2/4 कैलाश पुत्र मंगलचन्द आयु वयस्क जाति माली
 - 2/5 विनोद पुत्र मंगलचन्द आयु वयस्क जाति माली
 - 2/6 राजेन्द्र पुत्र मंगलचन्द आयु वयस्क जाति माली
निवासीगण ग्राम चौढाणी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज.)
 - 2/7 स्थाना पुत्री जगन्नाथ पत्नी बनवारीलाल आयु वयस्क जाति माली
निवासी ग्राम भोजगढ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)
 - 2/8 गीता पुत्री जगन्नाथ पत्नी महावीर आयु वयस्क जाति माली निवासी
ग्राम भोजगढ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)
 - 2/9 दिनेश पुत्र शंकरलाल आयु वयस्क जाति माली
 - 2/10 ताराचन्द पुत्र शंकरलाल आयु वयस्क जाति माली
 - 2/11 नेमीचन्द पुत्र शंकरलाल आयु वयस्क जाति माली
 - 2/12 मुकेश पुत्र शंकरलाल आयु वयस्क जाति माली
 - 2/13 संदीप पुत्र शंकरलाल आयु वयस्क जाति माली
निवासीगण ग्राम नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज.)
 - 2/14 सुशीला पुत्री शंकर पत्नी महेन्द्र आयु वयस्क जाति माली निवासी शोभ
जी की ढाणी ग्राम झाझड़ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज.)
3. भोला पुत्र रेखा के कायम मुकाम
 - 3/1 पारा पत्नी भोला आयु वयस्क जाति माली
 - 3/2 लक्ष्मणराम पुत्र भोला आयु वयस्क जाति माली



जगदीश प्रसाद गौड़
अतिरिक्त जिला कलक्टर

- 3/3 श्योपाल पुत्र भोला आयु वयस्क जाति माली
 3/4 महावीर पुत्र भोला आयु वयस्क जाति माली
 निवासीगण ग्राम चौढाणी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज.)
 3/5 श्रवणी पुत्री भोला पत्नी कजोड़ आयु वयस्क जाति माली निवासी ग्राम
 छापोली तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)
 3/6 संतोष पुत्री भोला पत्नी नथुराम आयु वयस्क जाति माली निवासी ग्राम
 बड़वासी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज.)
 3/7 भंवरी पुत्री भोला पत्नी चौथुराम आयु वयस्क जाति माली निवासी ग्राम
 बड़वासी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज.)
 3/8 नानचीदेवी पुत्री भोला पत्नी दैबू आयु वयस्क जाति माली निवासी ग्राम
 बगोरिया की ढाणी चिराणा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज.)
4. रामेश्वर पुत्र रेखा के कायम मुकाम
 4/1 हस्तीदेवी पत्नी रामेश्वर आयु वयस्क जाति माली
 4/2 सरदारराम पुत्र रामेश्वर आयु वयस्क जाति माली
 4/3 रामवतार पुत्र रामेश्वर आयु वयस्क जाति माली
 4/4 बनवारी पुत्र रामेश्वर आयु वयस्क जाति माली
 4/5 मनीलाल पुत्र रामेश्वर आयु वयस्क जाति माली
 निवासीगण ग्राम चौढाणी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज.)
 4/6 धोली पुत्री रामेश्वर पत्नी कुरड़ाराम आयु वयस्क जाति माली निवासी
 ग्राम बड़वासी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज.)
 4/7 सुशीला पुत्री रामेश्वर पत्नी बनवारी आयु वयस्क जाति माली निवासी
 ग्राम बड़वासी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज.)
 4/8 बाबूलाल पुत्र नाथूराम आयु वयस्क जाति माली
 4/9 राजेन्द्र पुत्र नाथूराम आयु वयस्क जाति माली
 4/10 प्रमोद पुत्र नाथूराम आयु वयस्क जाति माली
 निवासीगण ग्राम छापोली तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)
 4/11 सोनू पुत्री नाथूराम पत्नी फूलचन्द आयु वयस्क जाति माली निवासी
 ग्राम बसावा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज.)
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील नवलगढ, जिला झुन्झुनू (राज.)।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :-

1. श्री अमित कुमार अधिवक्ता.....प्रार्थी की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से।

—निर्णय—

दिनांक 02.11.2022

5-1-1
 2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि— प्रार्थी को खान एवं भू विज्ञान राजस्थान सरकार द्वारा खनन पट्टा एम. एल. न. 47/2007 खान ग्रुप-2 विभाग के आदेश क्रमांक प.2(113) खान/ग्रुप-2/2007/ दिनांक 12.04.2019 के आदेश द्वारा खनन पट्टा वास्ते खनिज लाईमस्टोन निकट ग्राम परसरामपुरा (गोठडा), तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनूं में 6.24 वर्ग कि.मी. भूमि हेतु स्वीकृत किया गया है। प्रार्थी के पक्ष में उक्त खनन पट्टा राजस्थान सरकार की ओर से निष्पादित है, उक्त खनन पट्टा की लीज डीड दिनांक 18.04.2019 को निष्पादित की जाकर दिनांक 08.05.2019 को उप पंजीयक महोदय नवलगढ़ के कार्यालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त खनन पट्टा वास्ते खनन लाईम स्टोन निकट ग्राम परसरामपुरा (गोठडा) तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं में प्रार्थी कम्पनी को एक निश्चित अवधि के लिए जो इस संबंध में समय समय पर लागू संशोधित विधियों के अधीन है के लिए दिया गया है। लीजडीड के अनुसार प्रार्थी को ग्राम देवगांव तहसील नवलगढ़ में अवस्थित भूमि जिनके खसरा नम्बर पृथक पृथक हैं के खातेदारान से भूमि अवाप्त कर कम्पनी खनन कार्य करने हेतु प्रक्रियाधीन है। ग्राम देवगांव के नया खाता संख्या 7 खसरा संख्या 74 रकबा 1.4300 हैक्टेयर किस्म बारानी-3 कुल रकबा 1.4300 हैक्टेयर भूमि में अप्रार्थीगण का हिस्सा 7/12 अर्थात् 0.8342 हैक्टेयर भूमि खातेदारी की है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विचाराधीन के दौराने वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थी संख्या 2 जगन्नाथ पुत्र रेखा के फोट होने के कारण उनके कानूनी वारिसान अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/14 को पक्षकार बनाया गया है, अप्रार्थी संख्या 3 भोला पुत्र रेखा के फोट होने के कारण उनके कानूनी वारिसान अप्रार्थी संख्या 3/1 से 3/8 को पक्षकार बनाया गया है, अप्रार्थी संख्या 4 रामेश्वर पुत्र रेखा के फोट होने के कारण उनके कानूनी वारिसान अप्रार्थी संख्या 4/1 से 4/11 को पक्षकार बनाया गया है। जो प्रार्थी ईकाई को खनन एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र में अवस्थित है, जिसमें प्रार्थी ईकाई द्वारा अपने लीज क्षेत्र में खनन तथा समनुषगी कार्य (subsidiary purposes) के उपयोगार्थ राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 89 (2) में वर्णित कार्य हेतु आवश्यकता जाहिर की है एवं यह कथन किया कि इसके अभाव में प्रार्थी कम्पनी खनन पट्टा क्षेत्र के उक्त भाग में खनन कार्य नहीं कर सकते तथा इसके अभाव में प्रार्थी कम्पनी अपने उद्योग को नहीं चला पायेगी तथा उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इस कारण उक्त आराजी का उपयोग एवं आधिपत्य प्रार्थी ईकाई को प्रदान कराना आवश्यक है। अप्रार्थी की उक्त भूमि का मुआवजा अदा करने हेतु प्रार्थी कम्पनी तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र अं० धारा 89 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार कर उपरोक्त भूमि के मुआवजे का निर्धारण कर भूमि प्रार्थी कम्पनी को खनन कार्य व समनुषगी कार्य (subsidiary purposes) के उपयोगार्थ उपलब्ध कराने के आदेश फरमावे।

सुनील कुमार
2019

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्राथीगण को तारीख पेशी की सूचना नकल प्रार्थना पत्र के साथ भेजकर दी गई। क्षतिपूर्ति मुआवजा/मौका जांच रिपोर्ट तलब की गई। मौका जांच/मुआवजा क्षतिपूर्ति रिपोर्ट प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि— प्रार्थी कम्पनी को खान एवं भू विज्ञान राजस्थान सरकार द्वारा खनन पट्टा एम. एल. न. 47/2007, खान गुप-2 विभाग के आदेश क्रमांक प.2(113) खान/गुप-2/2007/ दिनांक 12.04.2019 के आदेश द्वारा खनन पट्टा वास्ते खनिज लाईमस्टोन निकट ग्राम परसरामपुरा (गोठडा), तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनूं में 6.24 वर्ग कि.मी. भूमि खनन कार्य हेतु स्वीकृत किया गया है। प्रार्थी के पक्ष में उक्त खनन पट्टा राजस्थान सरकार की ओर से निष्पादित है, उक्त खनन पट्टा की लीज डीड दिनांक 18.04.2019 को निष्पादित की जाकर दिनांक 08.05.2019 को उप पंजीयक महोदय नवलगढ़ के कार्यालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त खनन पट्टा वास्ते खनन लाईम स्टोन निकट ग्राम परसरामपुरा (गोठडा) तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं में प्रार्थी कम्पनी को एक निश्चित अवधि के लिए जो इस संबंध में समय समय पर लागू संशोधित विधियों के अधीन है के लिए दिया गया है। लीजडीड के अनुसार प्रार्थी को ग्राम देवगांव तहसील नवलगढ़ में अवस्थित भूमि जिनके खसरा नम्बर पृथक पृथक है के खातेदारान से अवाप्त कर कम्पनी खनन कार्य करने हेतु प्रक्रियाधीन है। ग्राम देवगांव के नया खाता संख्या 7 खसरा संख्या 74 रकबा 1.4300 हैक्टेयर किस्म बारानी-3 कुल रकबा 1.4300 हैक्टेयर भूमि में अप्राथीगण का हिस्सा 7/12 अर्थात् 0.8342 हैक्टेयर भूमि खातेदारी की है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विचाराधीन के दौराने वादग्रस्त भूमि में अप्राथी संख्या 2 जगन्नाथ पुत्र रेखा के फोट होने के कारण उनके कानूनी वारिसान अप्राथी संख्या 2/1 से 2/14 को पक्षकार बनाया गया है, अप्राथी संख्या 3 भोला पुत्र रेखा के फोट होने के कारण उनके कानूनी वारिसान अप्राथी संख्या 3/1 से 3/8 को पक्षकार बनाया गया है, अप्राथी संख्या 4 रामेश्वर पुत्र रेखा के फोट होने के कारण उनके कानूनी वारिसान अप्राथी संख्या 4/1 से 4/11 को पक्षकार बनाया गया है। जो प्रार्थी ईकाई को खनन एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र में अवस्थित है, जिसमें प्रार्थी ईकाई द्वारा अपने लीज क्षेत्र में खनन तथा समनुषंगी कार्य (subsidiary purposes) के उपयोगार्थ राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 89 (2) में वर्णित कार्य हेतु आवश्यकता जाहिर की है एवं यह कथन किया कि इसके अभाव में प्रार्थी कम्पनी खनन पट्टा क्षेत्र के उक्त भाग में खनन कार्य नहीं कर सकते तथा इसके अभाव में प्रार्थी कम्पनी अपने उद्योग को नहीं चला पायेगी तथा उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इस कारण उक्त आराजी का उपयोग एवं आधिपत्य प्रार्थी ईकाई को प्रदान कराना आवश्यक है। अप्राथी की उक्त भूमि का मुआवजा अदा करने हेतु प्रार्थी कम्पनी तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र अं० धारा 89 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

गोठडा
परसरामपुरा
नवलगढ़

स्वीकार कर उपरोक्त भूमि के मुआवजे का निर्धारण कर भूमि प्रार्थी कम्पनी को खनन कार्य व समनुषंगी कार्य (subsidiary purposes) के उपयोगार्थ उपलब्ध कराने के आदेश फरमावे।

अप्रार्थी संख्या-1, 2/1 से 2/14, 3/1 से 3/8 व 4/1 से 4/11 बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस बताया कि उक्त भूमि का खनन पट्टा प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में राजस्थान सरकार की ओर से निष्पादित है। उक्त खनन पट्टा की लीज डीड दिनांक 18.04.2019 को निष्पादित की जाकर दिनांक 08.05.2019 को उप पंजीयक महोदय नवलगढ के कार्यालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त खनन पट्टा वास्ते खनन लाईम स्टोन निकट ग्राम परसरामपुरा (गोठडा) तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं में प्रार्थी कम्पनी को एक निश्चित अवधि के लिए जो इस संबंध में समय समय पर लागू संशोधित विधियों के अधीन है के लिए दिया गया है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत क्षतिपूर्ति मुआवजा रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जावे।

मेरे द्वारा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी कम्पनी को माईनिंग लीज प्राप्त है। तहसीलदार नवलगढ द्वारा प्रेषित मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि प्रार्थी ईकाई की माईनिंग लीज क्षेत्र ग्राम देवगांव के नया खाता संख्या 7 खसरा संख्या 74 रकबा 1.4300 हैक्टेयर किस्म बारानी-3 कुल रकबा 1.4300 हैक्टेयर भूमि में अप्रार्थीगण का हिस्सा 7/12 अर्थात् 0.8342 हैक्टेयर भूमि खातेदारी की है, जो लीज क्षेत्र में आयी हुई है। तहसीलदार नवलगढ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उक्त आराजी की वर्तमान डी. एल. सी. दर 400803/-रुपये प्रति हैक्टेयर होती है, तथा प्रश्नगत भूमि नगरपालिका क्षेत्र से 19 किलो मीटर की दूरी पर स्थित है। तहसीलदार नवलगढ की मौका जांच रिपोर्ट में उक्त आराजियात पर स्थित पेड़ पौधों की संख्या एवं कीमत अंकित की गई है। खनन एवं समनुषंगी कार्यों हेतु प्रार्थी को उक्त भूमि की आवश्यकता है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 89 (4) के अनुसार खनिज सम्पदा के दोहन से यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो उस व्यक्ति को सुना जाकर राज्य सरकार या उसका अभिहस्तांकित ऐसे व्यक्तियों को इस प्रकार के उल्लंघन के लिये प्रतिकर देगा एवं ऐसे प्रतिकर की धनराशि का निर्धारण भू अवाप्ति अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार इस न्यायालय द्वारा किया जाना है।

राजस्व (ग्रुप 6) विभाग अधिसूचना क्रंमाक पं.1 (3) राज-6/2011/पार्ट/14 दिनांक 16.10.14 के अनुसार प्राइवेट कम्पनी द्वारा भूमि अर्जन करने की स्थिति में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था के प्रावधान लागू करने के लिए अवाप्ति भू क्षेत्र की सीमा ग्रामीण क्षेत्र में 1000 हैक्टेयर तथा शहरी क्षेत्र में 200 हैक्टेयर है। प्रार्थी कम्पनी का अवाप्ति क्षेत्र उक्त सीमा से कम होने से उक्त प्रावधान लागू नहीं होते हैं। भूमि अवाप्ति

उम्मीद
राजस्थान सरकार
अधिवक्ता

के सम्बंध में नया भूमि अवाप्ति पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 दिनांक 01 जनवरी 2014 से लागू होकर, उनके प्रावधानों के अनुसार ही भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया एवं भूस्वामियों को दिये जाने वाले मुआवजे का निर्धारण किया जाना है। चूंकि राज्य सरकार की ओर से भूमि अवाप्ति के सम्बंध में अलग से कोई भूमि अवाप्ति अधिनियम लागू नहीं किया गया है, अतः प्रकरण में नए एक्ट के प्रावधानों के अनुसार ही मुआवजे का निर्धारण किया जाना है। नये भूमि अवाप्ति पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचि प्रथम में भूमि धारकों को प्रतिकर के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसके क्रम संख्या 1 से 6 के अन्तर्गत कुल प्रतिकर की गणना की किस प्रकार की जायेगी, का क्रमवार उल्लेख किया गया है। एवं उक्त अनुसूची की क्रम संख्या 2 के अनुसार दिये जाने वाले प्रतिकर के कारकों 1 से 2 जो कि प्रस्तावित प्रोजेक्ट की दूरी पर आधारित होगा, जैसा कि संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, क्रम संख्या 4 में भूमि से जुड़ी हुई सम्पत्तियों के निर्धारण एवं क्रम संख्या 5 में तोषण का निर्धारण किस प्रकार किया जायेगा, का उल्लेख किया गया है।

तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि की दूरी निकटतम नगरपालिका क्षेत्र से 19 कि.मी. है एवं उपरोक्त उल्लेखित राजस्व (ग्रुप-6) विभाग अधिसूचना क्रमांक पं.1(3) राज-6/2011/पार्ट/26 दिनांक 14.06.16 में उल्लेखित भूमि का गुणक, जिससे बाजार मूल्य गुणित किया जावेगा वह 1.50 है तथा गुणित किये गये उक्त बाजार मूल्य में एक्ट की अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार पेड़ पौधों व संपत्ति की कीमत को जोड़ा जाना है एवं धारा 30(1) के अनुसार ऐसी राशि की शत प्रतिशत तोषण की राशि होगी। प्रार्थी को राज्य सरकार के खनन विभाग द्वारा विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत खनन कार्य हेतु खनन पट्टा पंजीयन की तिथि 08.05.2019 से 50 वर्ष तक की अवधि के लिए प्रदान किया गया है, जिसके खनन कार्य व सहायक कार्य हेतु प्रश्नगत भूमि चाही जाने से इस भूमि के खातेदार के सरफेस राईट का उल्लंघन होगा। जिसके लिए खातेदार अप्रार्थी को प्रतिकर राशि का भुगतान किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 89 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में प्रतिकर का निर्धारण खातेदारान को निम्न सारणी के अनुसार गणना कर किया जाता है। अप्रार्थीगण खातेदारान का हिस्सा निम्नानुसार है:-कमलादेवी पत्नी हरलाल हिस्सा 1/3, रुड़कीदेवी पत्नी जगन्नाथ हिस्सा 1/72, शंकर पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 1/72, नानची पत्नी मंगलचन्द हिस्सा 1/288, कैलाश पुत्र मंगलचन्द हिस्सा 1/288, विनोद पुत्र मंगलचन्द हिस्सा 1/288, राजेन्द्र पुत्र मंगलचन्द हिस्सा 1/288, स्याना पुत्री जगन्नाथ हिस्सा 1/72, गीता पुत्री जगन्नाथ हिस्सा 1/72, दिनेश पुत्र शंकरलाल हिस्सा 1/432, ताराचन्द पुत्र शंकरलाल हिस्सा 1/432, नेमीचन्द पुत्र शंकरलाल हिस्सा 1/432, मुकेश पुत्र शंकरलाल

हिस्सा 1/432, संदीप पुत्र शंकरलाल हिस्सा 1/432, सुशीला पुत्री शंकरलाल हिस्सा 1/432, पारा पत्नी भोला हिस्सा 1/96, लक्ष्मणराम पुत्र भोला हिस्सा 1/96, श्योपाल पुत्र भोला हिस्सा 1/96, महावीर पुत्र भोला हिस्सा 1/96, श्रवणी पुत्री भोला हिस्सा 1/96, संतोष पुत्री भोला हिस्सा 1/96, भंवरी पुत्री भोला हिस्सा 1/96, नानची पुत्री भोला हिस्सा 1/96, हस्तीदेवी पत्नी रामेश्वर हिस्सा 1/96, सरदारराम पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/96, रामवतार पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/96, बनवारी पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/96, मनीलाल पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/96, धोली पुत्री रामेश्वर हिस्सा 1/96, सुशीला पुत्री रामेश्वर हिस्सा 1/96, बाबूलाल पुत्र नाथूराम हिस्सा 1/384, राजेन्द्र पुत्र नाथूराम हिस्सा 1/384, प्रमोद पुत्र नाथूराम हिस्सा 1/384, सोनू पुत्री नाथूराम हिस्सा 1/384 है।

क्र. सं.	खातेदार का नाम जिसका विवरणजमाबंदी में अंकित है	खसरा नं.	रकबा जिसका प्रतिकर निर्धारण किया जाना	भूमि किस्म	डी.एल. सी.दर प्रति हैक्टेयर	राशि (कालम संख्या 3x5)	नगर पालिका से दूरीकिमी में व उसके अनुसार गुणक		कुल राशि (कॉलम संख्या 6 x 8) रु.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	उपरोक्तानुसार	74	0.8342 हैक्टेयर	बारानी-3	400803	334350	19	1.50	501525
B	योग	1	0.8342 हैक्टेयर						501525
C	प्रभावित भूमि पर अवस्थित पेड़ों की मालियत								50000
D	अन्य संरचना (धोरा एवं तारबन्दी वगैरा) निर्माण नहीं है								0
E	योग (कॉलम संख्या B+C+D)								551525
F	तोषण 100 प्रतिशत (कॉलम E के समान राशि)								551525
G	कुल देय प्रतिकर राशि (E+F)								1103050

अतः आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी कम्पनी उपरोक्त मुआवजा राशि के पूर्णांक राशि रुपये 11,03,050/- (अक्षरे ग्यारह लाख तीन हजार पचास रुपये मात्र) अप्रार्थी के नाम से बैंक बनाकर तहसीलदार नवलगढ को एक माह की अवधि में उपलब्ध करावे। तहसीलदार नवलगढ उक्त आराजी के संबंध में राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदार एवं वर्तमान कब्जे के सम्बंध में सन्तुष्टि के उपरान्त यदि भूमि बैंक के रहन है तो बैंक से बकाया ऋण जमा का अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही सम्बन्धित खातेदार को हिस्से के अनुरूप मुआवजा राशि का भुगतान कर प्रमाणित करेंगे। अपील अवधि गुजरने के पश्चात राजस्व रिकॉर्ड में भूमि बिलानाम (सिवायचक) माईनिंग लीज श्री सीमेंट लि. अंकित की जावें। उपरोक्त भूमि का कब्जा प्रार्थी कम्पनी को दिलाया जावे। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का उपयोग प्रार्थी इकाई को लीज अवधि तक प्रचलित नियमों,

11-1
तहसीलदार
नवलगढ

निर्देशो, लीज डीड व विभागीय परिपत्रो के तहत एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 89(2) में वर्णित माईनिंग के संबंधित खनन कार्य व समनुषंगी कार्यों (subsidiary purposes) के लिए ही करने का अधिकार होगा। भविष्य में राज्य सरकार अथवा किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा राशि भुगतान में संशोधन किया जाता है तो प्रार्थी द्वारा अन्तर राशि की अदायगी नियमानुसार की जाएगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार नवलगढ/प्रार्थी कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे।



(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू(राज.)

निर्णय आज दिनांक 02.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू(राज.)